संख्या–06 / गृ०(का०)आधु०–79 / 2023................. / जेल

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

कारा महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक– / /2023 ई०।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष–4055–पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय, लघुशीर्ष–207–राज्य पुलिस, उपशीर्ष–27–बाथिंग प्लेटफार्म, यूरिनल एवं शौचालय का निर्माण –05–निर्माण–45–निर्माण कार्य" में रू० 17,32,200/–(सतरह लाख बत्तीस हजार दो सौ रूपये) मात्र का आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं०–62(प्र०), दिनांक 03.08.2023 के विरूद्ध केन्द्रीय कारा, गिरिडीह से संबंधित योजना कार्य के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष–4055–पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय, लघुशीर्ष–207–राज्य पुलिस, उपशीर्ष–27–बाथिंग प्लेटफार्म, यूरिनल एवं शौचालय का निर्माण–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड–22S40550020727000545) अंतर्गत कुल रू० 17,32,200/– (सतरह लाख बत्तीस हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :–

(राशि रू० में)

क्र०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम एवं **DDO** कोड
1	Construction of Bore Well (4 Nos.) at Central Jail, Giridih in the District of Giridih.	17,32,200/-	17,32,200/-	अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गिरिडीह (GRDJLS001)
	योग :–	**17,32,200/-**	**17,32,200/-**	

(सतरह लाख बत्तीस हजार दो सौ रूपये) मात्र

2. उक्त आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गिरिडीह होंगे, जो जिला कोषागार, गिरिडीह से राशि की निकासी कर झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), राँची के PL खाते में हस्तांतरित करायेंगे।

3. उक्त योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची द्वारा किया जाएगा। निर्माण/अधिष्ठापन कार्य की गुणवत्ता की जिम्मेवारी संयुक्त रूप से संबंधित काराधीक्षक एवं संबंधित एजेंसी की होगी। संबंधित एजेंसी प्राक्कलन/मानक की विशिष्टियों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता युक्त मानक स्तर का कार्य सुनिश्चित करायेंगे। यह उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पाये जाने पर अथवा कार्य मानक स्तर का नहीं पाये जाने पर इसके लिए संबंधित एजेंसी सीधे उत्तरदायी होंगे एवं ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

4. संबंधित काराधीक्षक निरन्तर योजनाओं की जाँच करेंगे तथा प्राक्कलन के अनुरूप ही अपनी देख–रेख में ससमय कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित योजना का प्राक्कलन, मापी पुस्त की छायाप्रति, गुणपत्ता की जाँच की प्रति एवं भुगतान से संबंधित विपत्र की छायाप्रति, काराधीक्षक कार्यालय में भी संघारित की जाएगी एवं स्थायी रूप से रखी जाएगी। कार्य में कोई गड़बड़ी या अनियमितता पाये जाने पर तुरंत कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड को प्रतिवेदित करेंगे। वे प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से व्यय विवरणी भेजेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि का विचलन, दुर्विनियोग और गबन नहीं हो।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संघारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाक कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

6. विषयांकित योजना के भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची पर होगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यो के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली/बचत की राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई करेंगे।

8. योजना का कार्यान्वयन में PWD Code, वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०, दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत संबंधित सभी वित्तीय/प्रशासनिक नियम/विनियम का अक्षरशः पालन किया जायगा। Tax (IT/VAT/Service Tax/Royality) इत्यादि At Source /स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप Settle किया जायगा। कार्यान्वयन एजेन्सी किसी भी अनियमितता के लिए उत्तरदायी होगी।

9. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा।

10. गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

11. कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची योजनाओं का कार्यान्यवन ससमय पूर्ण कराते हुए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

12. योजनाओं का वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार, राँची तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-
(अविनाश कुमार)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-06/गृ०(का०)आधु०-79/2023-106/जेल, राँची, दिनांक- 20/09/2023 ई०।

प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/आयुक्त एवं उपायुक्त, गिरिडीह/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, बजट प्रशाखा, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची/अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गिरिडीह/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/23

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

चालू वितीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 6/G(K)A-79/23/106 **दिनांक -** 20-Sep-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 22 40550020727000545 4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 00 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 207 - राज्य पुलिस 27 - बाथिन्ग प्लेटफॉर्म, यूरिनल एवं शौचालय का निर्माण 00-NA 05 - निर्माण **State Scheme**	54567	GRDJLS001 ANIMESH KUMAR CHOUDHARY SUPD. OF JAIL GIRIDIH 45 - निर्माण कार्य	1,732,200.00 रुपये स त्र ह लाख बत्तीस हजार दो सौ

State Scheme : WATER SUPPLY - SANITATION (INCLUDING ELECTRIFICATION) IN THE PRISONS(0722)

Centeral Scheme : NA

योग: 1,732,200.00

रुपये स त्र ह लाख बत्तीस हजार दो सौ

क्रमिक योग:

(AVINASH KUMAR)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY